प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 96/2024 (अपील सूचना का अधिकार)
गिरीश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02/09/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 16.07.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर 3 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/96/24/942–43 दिनांक 02.08.2024 से लिखा गया।

जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प.41/2/सू.अ./प्र.स./139/24/812–13 दिनांक 23.08.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए कार्यालय को अवगत करवाया गया।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि मुझ प्रार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई थी वो नहीं दिया जाकर स्थापना शाखा द्वारा एफ.1(सी)24(1)स्था./सू.अ./2023/800 दिनांक 02.08.24 से सूचना दी गई जो मेरे द्वारा नहीं चाही गई थी। मेरे द्वारा निरीक्षण हेतु लिखा गया किन्तु मूझे गुमराह किया जा रहा है। अतः जो चाहा गया है उसके लिए निरीक्षण करने का आदेश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय के स्थापना शाखा से प्रार्थी की प्रथम एवं द्वितीय एसीपी में चलाई गई पत्रावली पर श्रीमान द्वारा की गई कार्यवाही एवं आर्डरशीट, जारी आदेश तथा स्थापना शाखा के जावक रजिस्टर की दिनांक 25.06.24 से आवेदन दिनांक तक की प्रमाणित प्रतियां चाही गई थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2024 को बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना प्राप्त कर ली गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.08.24 को उपस्थित होकर निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना नहीं मिलने से निरीक्षण हेतु लिखा गया है परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण हेतु लोक सूचना अधिकारी को पूर्व में निवेदन किया गया हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी को चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 से संबंधित वांछित सूचना कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ1(सी)24(1)स्था./सू.अ./2023/79 दिनांक 26.07.2024 से लोक सूचना अधिकारी को

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रेषित की गई, जिसे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.07.2024 को प्राप्त करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 2 की सूचना शून्य होने से पुनः पत्र क्रमांक प.41/2/सू.अ./प्र.स./139/24/812–13 दिनांक 23.08.2024 से अपीलार्थी को पुनः सूचना प्रेषित की गई।

ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित 3 बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी द्वारा निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र सूचना प्राप्त किये जाने के बाद दिया गया है। यदि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अतिरिक्त कोई अन्य सूचना या निरीक्षण चाहता है तो नये से आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर